

35
126

35
22
-2-14

प्रकरण क्रमांक
1-2-1
महल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

/2014 पुनरीक्षण/आवेदन श्री मन्जी गणेश शर्मा
राज्य कीडीलाम् 2 च.हमर इलाहाबाद
मिश्री पुत्र चिरौजी मेहतर निवासी- ग्राम

R 388 IIIIV
माननीय न्यायालय
के आवेदन दिनांक 4-12-11
आदेश नं. 18/11/2011

कदवाया तहसील ईसागढ़ जिला अशोक
नगर, म0प्र0 --- आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन --- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 25/5/2011 पारित द्वारा न्यायालय
कलेक्टर अशोक नगर के प्रकरण क्रमांक 38अ/19/2010-11
व उनवान मिश्री बनाम म0प्र0 शासन

Shrivastav

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण/आवेदन निम्न प्रकार

प्रस्तुत है:-


प्रकरण के तथ्य एवं आधार

1. यहकि, प्रकरण में आवेदक मिश्री पुत्र चिरौजी मेहतर निवासी- ग्राम कदवाया तहसील ईसागढ़ जिला अशोक नगर के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्यकी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 1045/6 रकवा 1.725 हैक्टर लगानी 6 रुपये 13 पैसे स्थित ग्राम कदवाया तहसील ईसागढ़ जिला अशोक नगर की होकर राजस्व अभिलेख में उसके नाम अधोलिखित है, जो आवेदक को शासन द्वारा विधिवत् पट्टे पर प्रदत्त की गयी।

2. यहकि उक्त भूमि ककरीली पथरीली अनपुजारु होने के कारण

for

R-388-4/14 अशोक नगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारियों आदि के हस्ताक्षर
19.1.16.	आवेदक को वारिंटों की जांच किए गए व जागतिकीय प्रकृत की सेवा प्राप्त हो गई है वारिंटों की जांच के फलस्वरूप वारिंटों को प्रोबे रिफ 4.1.16 को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रकृत के प्रकार के अंतर्गत आवक दिवारों को खारिज किया जाता है। प्रकृत को अंतिम रूप दे दिया गया है।	 अ.न.

42